International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 7 Issue 1 Ser. III || January 2018 || PP 92-95

बल श्रमिकों की समस्याएं एवं उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास

डॉ0 पूनम
एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज
शाहजहॉपुर

डॉ0 राम शंकर पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज शाहजहॉपुर

बल–श्रम एक सामाजिक बुराई है। आर्थिक विकास के साथ प्रतियोगिता भौतिक वस्तुओं की प्रति आकर्षण में वृद्धि महंगाई, गरीबी या धन के लालच में आकर माता–पिता छोटे–छोटे बच्चों को अर्थोपार्जन में लगा देते हैं। कई बार तो उनकी आंखों पर लालच की पट्टी इस तरह बंधी होती है कि वे बच्चों की जुआ घर, बीयर बार आदि तक में काम करने भेज देते हैं, जिससे बच्चों के कच्चे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका बचपन नहीं रह जाता है। बाल सुलभ भावनाएं और कोमलता नहीं रह जाती है। ये समय के पूर्व ही परिपक्व होने लगते हैं। कई बार तो सारे असन्तोष उनमें विद्रोह पैदा करके उन्हें अपराधी भी बना देते है। बाल मजदूरी के चलते बच्चों का नैसर्गिक शारीरिक तथा मानसिक विकास बाधित होता है। परिणामतया उनकी कार्यक्षमता का ह्रास होता है। यही नहीं उनकी भावी संस्कृति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रतिदिन 10 से 12 घण्टे थका देने वाला देता है। जिससे उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। बौद्धिक विकास होने के कारण सारा जीवन ये मजदूर बनकर ही रह जाते हैं साथ हो साथ अशिक्षित होने के कारण कुपोषण और जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं में भी इजाफा ही करते है। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियों और विकलांगता का सामना करना पड़ता है। दियासलाई तथा पटाखा उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को खांसी की दिक्कत तथा भयानक रूप से जल जाने का खतरा होता है जबकि पत्थर खदान, स्लेट या कांच उद्योग में काम करने वाले बच्चे सिलकोसिस धूल एवं ताप की वजह से दम घुट जाने के खतरे से ग्रसित हो जाते हैं। हतथकरघा उद्योग में फाइब्रोसिस तथा बाइसीनोसिस तथा कालीन उद्योग में घूल एवं रेशों के कारण फेफड़ो की भयानक बीमारी, गठिया तथा जोड़ के तना से बच्चों के प्रभावित होने की अत्याधिक संभावना होती है। ताला या पीतल उद्योग में काम करने वाले बच्चों को दमा, भयंकर सिरदर्द क्षयरोग तथा गुबारा फैक्ट्री के बाल श्रमिकों को निमोनिया, फैक्ट्री के बाल श्रमिकों को निमोनिया, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां लग जाती है।

देश में बालश्रमिकों की बढ़ती संख्या और शोषण से उत्पन्न राष्ट्रीय समस्या के प्रति चिंतित मानवतावादी सिद्धांतों के संरक्षक राष्ट्रपति महामहिम **डॉ0 शंकर दयाल शर्मा** ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सितम्बर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कर देते हुए बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाना शिक्षा को सबसे बड़ी चुनौती बताया तथा राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न इस व्यापक समस्या को समूल नष्ट करने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आहट किया। अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, मालिकों द्वारा कम लागत में अधिकाधिक लाभ कमाने की गरीबी, उनके प्रति पारिवारिक उदासीनता आदि के कारण अनेक संवैधानिक प्रावधानों के अथक प्रयासों के बावजूद आज बालश्रम के प्रतिबन्ध की दिशा में राष्ट्र को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे है। किन्तु वर्तमान समय में भी बाल श्रमिकों की समस्या सारी दुनिया में मानव जाति के लिए मुद्दा बना हुआ है। वस्तुतः यह समस्या मानव समाज में काफी बडी समस्या में बच्चों के लिए शोषण तथा उनके स्वास्थ्य की समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है।

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चे भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कारखानों में ईट की दीवारों पर जो कालिख जाम रहती है। जिनकी हवा प्रदूषित रहती है वे भार्टयां 1400 डिग्री सेल्सियम के ताप पर जलती हैं, वे जिसमें मील मालिक आसेनिक और पोटैशियम जैसे खतरनाक रसायनों को काम में लेते हैं जिसमें बच्चों के फेफड़ो पर जोर पड़ता है। दिल्ली तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान के कारखानों में यह पता लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की छतियां बैठी हुई हैं और हार्डडयों के जाल पटले हैं जिस कारण वे दुर्बल दिखाई देते हैं शरीर में खाज–खुजली होती है। निर्धन परिवार के होने के कारण अनेक बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं। अतः बाल–श्रम के कारण बच्चों को फेफड़ों में बीमारियां, तपेदिक, आंख की बीमारियां, अस्थमा, बोफाइरिस और कमरदर्द होते है। कुछ आग की दुर्घटनाओं में जख्मी हो जाते हैं, कई अपंग हो जाते है जिन्हें उनके मालिक निर्दयापूर्वक निकाल देते है। तब प्रश्न उठता है कि यह बाल–श्रमिकों की गंभीर समस्या है।

तालिका 1
खतरनाक कामों से होने वाली बीमारियां

व्यवसाय श्रक्रिया	पैदा होने वाली बीमारी
व्यवसाय प्रक्रिया शीशा उद्योग	पैदा होने वाली बीमारिया दमा, तपेदिक, श्वासनली शोध, नेत्र दोष
ईट–भट्द्रा पीतल बर्तन निर्माण	सिलिकोसिस ऐंठन अपंगता, तपेदिक, जल, डिहाइड्रेशन, श्वास संबंधी रोग
बीड़ी उद्योग	तपेदिक, श्वास संबंधी दोष

हथकरघा एवं पावरलम	दमा, टी0वी0, नेत्र दोष श्वास रोग
कचरा बीनना	चर्म रोग, स्नायु रोग, संक्रामक रोग, टिटनेस दमा, टी0वी0 ऐंठन नेत्र दोष
जरी एवं कढ़ाई माचिस एवं पटाया उद्योग	दुर्घटना जल्द मृत्यु श्वास रोग, चर्मरोग
मिट्टी के वर्तन उद्योग	सिलिकोसिस, टी0वी0 दमा
गुब्बारा उद्योग	निमोनिया, श्वांस रोग
कालीन उद्योग	दमा, तपेदिक
चूड़ी उद्योग	ताप आघात चर्म रोग दिल का दौरा, दमा
ताला उद्योग	टी0वी0 दमा, दुर्घटना सिलिकोसिस
पत्थर एवं स्लेट खनन कृषि उद्योग	चर्म रोग? कीटनाशक दवाइयों एंवं मशीनों का दुष्प्रभाव, ऐठन

स्रोत :–कुरूक्षेत्र जनवरी 1999, प्र0सं0 24

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि यदि बाल–श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य गैर खतरनाक कोटि का है तो भी वयस्कों की अपेक्षा बच्चों का अधिक किया जाता है। घरेलू नौकरों छोटे–छोटे होटलों या ढ़ाबों आदि में काम करने बाले बच्चों को जिनयोजकों द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाता है और उनसे इतने गन्दे कार्य कराए जाते हैं कि उनका कोमल हाथों की उंगलियों पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं इन नादान बच्चों को असामाजिक तत्व भी तरह–तरह से प्रताडित करते हैं और खासकर उनका यौन शोषण करके उन बाल–श्रमिकों को बीमारियां दे देते है। इसके अलावा शोर करने वाली मशीनों पर काम करने वाले बच्चे प्रायः बहरे हो जाते हैं नजला हो जाता है। मिट्टी वर्तन बनाने में सिलिका का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान देय है।

बल–श्रम की समस्या हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। प्राचीन काल से ही बाल–श्रमिक कृषि, उद्योग, व्यापार तथा घरेलू धंधों में कार्यरत रहे है परन्तु उस समय जनसंख्या के कम दबाव, गरीबी, अज्यनता, रूढ़ीवादिता तथा भाग्यवादिता के कारण उसकी शिक्षा एवं उन्हें सर्वागीण विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, बचपन को मजदूरी की वेदी पर होम कर दिया जाता है। और फिर उनके हाथों में कलम और किताब के स्थान पर हंसिया, फावड़ा और श्रम के निशान हो दिखाई देती है। बाल श्रम को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन उद्योगपतियों विकास की है जो बच्चों को काम धंधों पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे आदि या कम मजदूर गन्दे और असुविधा जनक वातावरण में चुपचाप घंटो काम करते रहते है। कामगार परिवारों की जितने हाथ उतने कामवाली, मानसिकता ने भी बाल–श्रम को बढ़ावा दिया है। बाल श्रमिक एक उपेक्षित अंग है। क्योंकि इन्हें स्कूल में बढ़ने के बजाय रोजी के लिए विवश होना पड़ता है।

बल श्रम उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयासः–

प्राचीन काल से ही किसी अर्थव्यवस्था में बालकों तथा स्त्रियों को पुरूषों के साथ खेत पर काम करना पड़ता था। सर्वप्रथम इंगलैण्ड में बाल श्रमिकों को रोजगार में लाया गया बालकों को बहुत ही अनुचित दशाओं में काम पर लगाया जाता था और उनसे कठोर काम लिए जाते थे। धीरे–धीरे बालकों का शोषण अन्य देवों में भी किया जाने लगा। भारत भी इस प्रभाव से न बच सका। भारत में विभिन्न उद्योगों में नियुक्त बालकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले बहुत से कानून में जो अंग्रेजो के शासन काल में बनाए गए थे जिनका विवरण निम्नलिखित है–

कारखाना एक्ट 1881 का फैक्टरी अधिनियम :–

बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु यह भारत में प्रथम अधिनियम था। इस अधिनियम ने यह अंकुश लगा दिया कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक बाल–श्रमिक नहीं बन सकते हैं इनसे नौ घंटे से अधिक काम के मध्य अवकाश और पूर्ण अवकाश की भी व्यवस्था की गई।

1891 के अधिनियम :–

ठोस अधिनियम की मुख्य बात यह थी कि एक दिन में काम करने के घंटे निश्चित कर दिए गए। बाल–श्रमिकों की आयु कम से कम 9 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तथा 12 यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया कि उनसे दिन रोशनी में ही कार्य कराया जाएगा।

.कारखाना एक्ट 1911 :–

बच्चों के काम के घण्टे वस्त्र मिलों में 6 घण्टे तक सीमित किए गए, कड़े निरीक्षण और प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गयी और शाम के 7 बजे से लेकर प्राय 5:30 किया गया।

कारखाना एक्ट 1922 :–15 वर्ष के कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चा माना गया काम के घण्टे (आधे घण्टे के विश्राम मध्यान्तर सहित) 6 घण्ट नियत किए गए और न्यूनतम कार्यावस्था 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गयी।

.कारखाना एक्ट 1934 :–

काम पर रखने की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष को उम्र के व्यक्तियों 12 से 15 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को बच्चे माना गया 15 से 17 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की एक नई किशोर श्रेणी बनायी गयी शाम के 7 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच

इनसे काम लेना मना किया गया। काम के घण्टे 5 कर दिए गए और मधान्तर साहित कार्य दिवस $7\frac{1}{2}$ घण्टे कर दिया गया।

भारतीय संविधानः—भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में बालकों को शोषण से रक्षा हेतु अनेक कदम उठाए गए है—

- **अनुच्छेद 39 ई :**—बालकों को ऐसा व्यवसाय करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।
- **अनुच्छेद 39 एफ :**—बालकों का शोषण रोकना चाहिए। ऐसा वातावरण एव सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और स्वास्थ्य भी ठीक रह सके।
- **अनुच्छेद 23** के अन्तर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता।
- **अनुच्छेद 24** में बालकों को शोषण से रक्षा करने हेतु कठोर कदम उठायेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को न तो औद्योगिक संस्थानो में काम करने की अनुमति है और न ही उसे काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

कारखाना एक्ट 1948ः—

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने बाल श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास आरम्भ कर दिए। बाल—श्रमिकों की आयु 15 और 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उससे 4.30 घंटे से अधिक एक दिन में काम नहीं लिया जा सकता है। मालिक को बाल—श्रमिक की उपस्थिति का रजिस्टर और काम के घंटे उसमें दर्शाने होंगे। बाल—श्रमिकों को अपनी आयु का मेडिकल प्रमाण—पत्र भी देना होगा। एक वर्ष के निरन्तर काम करने के पश्चात उसे वर्ष में कम से कम 14 दिनों का अवकाश देना होगा। इन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश देना होगा। रात में इन्हें काम पर नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए बाल—श्रमिक अधिनियम पारित हुए। 1951 और 1952 में यह अधिनियम चाय, काफी, खड़ और कोयले की खानों से संबंधित थे।

खान एक्ट 1952ः—

खानों में रोजगार संबंधी न्यूनतम उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई। एक्ट ने इस उम्र के बच्चों को खान में किसी भी भाग में चाहे यह भूमिगत है। या खुले में खुदाई का काम हो काम पर रखना मना किया है। इसमें व्यवस्था की गयी है कि किशोर किसी दिन $4\frac{1}{2}$ घण्टे से ज्यादा काम पर नहीं लगाए जाएगे।

बागान श्रमिक एक्ट 1951ः—

1951 के अन्तर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखी गयी है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने की मनाही करता है तथा 14 और 18 के बीच के उम्र के व्यक्तियो को किशोर माना गया है। भारत के सभी बागानों में बच्चों की रोजगार संबंधी पूरी सूचना नहीं मिलती है।

1986 व 1987 का बाल श्रम :—

यह अधिनियम पूर्व अधिनियमों से अलग था। इसमें बाल—श्रमिकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया कि वे कुछ कामो को नहीं कर सकते हैं। काम के घण्टे भी निश्चित कर दिए गए। उनसे प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे के मध्य ही काम लिया जा सकता है। बाल—श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर भी रखना होगा। इसकी सूचना संबंधी सूचनाएं अधिकारी को देनी होगी।

1987 में भारत सरकार ने बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषण की। इस नीति की तीन मुख्य विशेषताएं है—

(i) विभिन्न श्रम कानूनों के तहत बाल—श्रम से जुड़ी हुई कानूनी प्रावधानों को सशक्त और प्रभावी परिवर्तन पर जोर दिया गया।

(ii) दूसरे विभागों और मंत्रालयों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन विकास कार्यक्रमों का लाभ बाल श्रम के लिए भी किया जाए।

(iii) जिन क्षेत्रों में बाल—श्रम अधिक केन्द्रित हो गए हैं उन क्षेत्रों में कार्यशील बालकों के कल्याण के लिए परियोजनाएं चलाई गई।

संदर्भ ग्रथ सूची

1. सुबुद्धि गोस्वामी महिला एवं बाल विकास पोइटर पब्लिशर्स, जयपुर
2. प्रकाश नारायण नाटाणी—मानवाधिकार और कर्तव्य अविष्कार प्रकाशन जयपुर 2007
3. मुंजल जोशी बाल—श्रम चुनौतियां और निराकरण बुक एनक्लेव जयपुर 2007 पृष्ठ सं0 96—99
4. रविप्रकाश यादव, रागिनी, दीप, पूजाराय, बाल श्रम समस्या एवं समाधान अविष्कार पब्लिशर्स जयपुर 2008 मेरठ (यू0पी0) 212—214
5. डॉ0 मंजुलता भारत में बाल—श्रम समस्याएं एवं समाधान राहुल पब्लिशिंग हाउस मेरठ 2013 पृष्ठ सं0 100

6. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव–बाल श्रम उन्मूलन की चुनौतियां एवं समाधान की दिशाएं महेन्द्र बुक अपनी गुडगांव हरियाणा 2013
7. श्री रात्मज मिश्र–निबंध मंजूसा बाल श्रम समस्या एवं समाधान टाटा मेकग्राल हील पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेडे नई दिल्ली 2008
8. प्रमिला एच भार्गव बाल मजदूरी उन्मूलन रावत पब्लिकेशन जयपुर
9. डॉ0 ऊषा सिंह एच.पी. सिंह–सामजिक परिवर्तन के विविध आयाम अर्जुन पल्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2007 पृष्ठ सं0 68
10. चेतन मनारिया बाल–अपराध अधिकार और कानून अंकुर प्रकाशन उदयपुर 2009